

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरलाल

विपक्षी : श्री गोविन्दा

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 123 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 17.11.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक बताकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्क सुने। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना बताया है। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित है। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा है। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षी को हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का झंझेला की आराजी नम्बर 572, 575, 576, 577, 578, 579, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 628 कित्ता 15 रकबा 1.9832 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 गोविन्दा पिता हीरा डांगी अपने हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करें। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

